संख्या–3659 / 1–10–2008–12(73) / 2008टी0सी0–2

प्रेषक,

जी0 के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बस्ती, गोण्डा, बाराबंकी, मऊ, देवरिया, फैजाबाद, सीतापुर, सन्तकबीर नगर, ज्योतिबाफुलेनगर, शाहजहांपुर, बरेली, संन्तरविदास नगर, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, कानपुर, कन्नौज, बांदा, जौनपुर, एटा एवं उन्नाव।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांक 23 जुलाई, 2008

विषय– वित्तीय वर्ष 2008–09 में दैवी आपदा राहत कार्यो हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में दैवी आपदा राहत कार्यो हेतु श्री राज्यपाल महोदय रू0 40,00,000 / –(रूपये चालीस लाख मात्र) प्रति जनपद की दर से कुल धनराशि रूपये रू0 8,40,00,000 / – (रूपये आठ करोड़ चालीस लाख मात्र) अग्रिम रूप से आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश संख्या–जी.आई.–134 / 1–11–2007– 46 / 97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 में इंगित राहत की विभिन्न मदों में आवश्यकता अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों / शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। यदि राहत वितरण हेतु आवंटित धनराशि कम पड़े तो शेष वांछित धनराशि कोषागार नियम–27 के अन्तर्गत आहरित कर ली जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रभावित व्यक्तियों को देय सहायता प्रत्येक दशा में विलम्बतम 03 दिन के अन्दर वितरित हो जाय। कोषागार नियम–27 से आहरित धनराशि के समायोजन तथा धनावंटन प्रस्ताव शासन को 10 दिन में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाय। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाय कि कोषागार नियम–27 के अन्तर्गत धनराशि का आहरण एवं वितरण केवल दैवी आपदाओं

जैसे–अग्निकाण्ड, ऑधी, तूफान, चक्रवात, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, आकाशीय बिजली, अतिवृष्टि, बाढ़ आदि के फलस्वरूप घटित घटनाओं के लिये ही किया जायेगा। सामान्य दुर्घटनाओं– सड़क दुर्घटना रेल दुर्घटना, दंगा–फसाद, विद्युत आदि के कारण घटित घटनाओं के लिये इस धनराशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय प्रस्तर–3 में संदर्भित शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2007 में निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या–4815/1–10–2007–14(45)/2003, दिनांक: 06 दिसम्बर, 2007 के अनुसार दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रू0 1000/– से कम धनराशि का वितरण बियरर चेक के माध्यम से तथा रू0 1000/– या इससे अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष में दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहूँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षो के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

6. राहत धनराशि का वितरण गांवों में व्यापक प्रचार–प्रसार के बाद पर्यवेक्षीय अधिकारियों एवं स्थानीय जन–प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाए। राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाए। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़ कर सुनाया भी जाए।

7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आंवटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तब्य की इति कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार विभागों को धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की पांच तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अंत में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय–विवरण शासनादेश संख्या–1693/ 1–11–2005–रा0–11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप

पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचतें संभावित हों तो उन्हें दिनांक 25 मार्च, 2009 तक शासन को अवश्य सूचित करते हुए वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित कर दिया जाए।

9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रा[illegible] संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

10. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाए तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

11. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी0 के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या–3659(1)/1–10–2008–12(73)/2008टी0सी0–2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग– 6/11/राहत बेवसाइट की उपयोग हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0 के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।